'के.डी.ए. पूर्व में बसी आवासीय योजना में मकान व भूखण्ड देगा'

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा शहरी निर्धन वर्ग के लिये पूर्व में बसी आवासीय कॉलोनियों में भूखण्ड तथा आवास लॉटरी निकाल कर रियायती दर पर निर्धन वर्ग को आवंटित करेगा। इस योजनाओं की आवेदन पुस्तिका का विमोचन कोटा विकास प्राधिकरण परिसर में संभागीय आयुक्त और केडीए अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह शेखावत कोटा विकास प्राधिकरण कमिशनर ऋषभ मंडल सचिव कुशल कोठारी और वित्त निदेशक नीतू सिंह के द्वारा किया गया।

■ **सभी योजनाओं में कुल 649 भूखण्ड मकान की निकालेगा रियायती दर पर लॉटरी**

इस दौरान केडीए और बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे। केडीए अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व में बसी हुई आवासीय कॉलोनियों जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड और आवास खाली है में भूखण्ड और आवास रियायती दरों पर निर्धन वर्ग को लॉटरी से आवंटित किये जाऐंगे। उन्होंने कहा कि कोटा विकास प्राधिकरण आमजन को अपनी योजना में समस्त सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध करवायेगा।

वित्त निदेशक नीतू सिंह ने बताया कि सावित्री बाई फुले योजना में 26, सीए नगर आवासीय योजना में 124, मोहन लाल सुखाडिया ब्लॉक सी और एफ में 100, देवनारायण आवासीय योजना ब्लॉक ए से आई में 289, कुन्द-कुन्द नगर आवासीय योजना में 219, चन्द्रमौली आवासीय योजना में 49, गोविन्द नगर आवासीय योजना में 12 इस तरह कुल 649 आवास और भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जायेगे।

कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा आवासीय योजनाओं की आवेदन पुस्तिका का विमोचन किया गया है।

कोटा उत्तर ने अतिक्रमण हटाये

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी के निर्देश अनुसार उत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को दुकानों के आगे हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया और अतिक्रमियों को अतिक्रमण नही करने की सख्त हिदायत दी गई। नगर निगम कोटा उत्तर उपायुक्त महावीर सिंह सिसोदिया के नेतृत्व मे मंगलवार को अति.पुलिस अधीक्षक व अतिक्रमण प्रभारी तरूण कांत सोमानी व पुलिस विभाग के वृताधिकारी राजेश टेलर के साथ हजीरा बस्ती के पीछे व जे.पी सर्किल, सर्राफा मार्केट, न्यू क्लॉथ मार्केट एवं सब्जीमण्डी के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की ताबड़-तोड़ कार्यवाही की गई।

निगम उत्तर के उपायुक्त सिसोदिया ने बताया कि कार्यवाही के दौरान दुकानदारों ने अवैध रूप से बने रेम्प व पट्टीयां बना रखी थी। जिन पर कार्यवाही करते हुए जेसीबी व अन्य संसाधनों के माध्यम से कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया गया और रोड पर अतिक्रमियों द्वारा जो बोडीयों व टिन-शेड अवैध रूप से लगे हुए थे। उन्हें भी अतिक्रमण निरोधात्मक कार्यवाही के दौरान हटाया गया और अतिक्रमियों को भविष्य में अतिक्रमण नही करने की हिदायत भी दी गई।

'मैरिज गार्डन को सील किया जाए'

कोटा, (निसं)। झालावाड़ रोड स्थित मैरिज गार्डन में लगी आग से सबक लेकर अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डन की जांच की जानी चाहिए और अवैध मैरिज गार्डन को सील किया जाना चाहिए पार्षद सलीना शेरी ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।

दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन 30 मई तक

कोटा, (निसं)। वित्तीय वर्ष 2025-26 वित्त एवं विनियम विधेयक चर्चा पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अंतर्गत विशेष योग्यजन संबंधी घोषणा में युवा दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से दी जाने वाली स्कूटी की संख्या में वृद्धि कर इसे 2500 करने की घोषणा की गई थी।

संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सविता कृष्णिया ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अंतिम तिथि में परिवर्तन किया गया है। जिसके अनुसार पात्र विशेष योग्यजन अब 30 मई 2025 रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

'शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर उपलब्ध कराएं'

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी ने कहा कि शहर में चल रहे सीवर लाईन सहित अन्य कार्यों से संबंधित शिकायतों के लिए नगर निगम टोल फ्री नम्बर उपलब्ध कराए जिस पर आने वाली शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज कर उनका समुचित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां कार्य चल रहे हैं वहां एक बोर्ड लगाकर उस पर कार्य शुरू होने एवं पूरा होने की तिथि के साथ ही कार्य कर रही एजेंसी एवं संबंधित अभियंताओं के मोबाइल नम्बर भी लिखे जाएं ताकि कार्य में देरी, खोदी गई सड़क समय पर रिपेयर नहीं होने तथा कार्य की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकें।

जिला कलेक्टर मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर नालों की सफाई एवं सीवरेज संबंधी कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीवर चैम्बर एवं सीवर लाईन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत समय पर हो ताकि आमजन को बारिश के मौसम में किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े।

उन्होंने कई जगह सीवर चैम्बर सड़क से ऊपर उठे होने एवं कई जगह सड़क के अंदर धंसे होने पर नाराजगी जताई एवं संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने केडीए के अभियंताओं को हर सप्ताह मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करने एवं गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर संबंधित कॉन्ट्रेक्टर पर पैनल्टी लगाने के निर्देश दिए।

आरटीयू ने बी.टेक. अंतिम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम पांच दिवस में घोषित कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

कोटा, (निसं)। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (आरटीयू) के इतिहास में सबसे कम समय केवल पांच दिवस में बी.टेक.अन्तिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आरटीयू ने सम्भवतः राजस्थान राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे कम समय में अन्तिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित करने का नया रिकार्ड बनाया है।

कुलपति प्रो.एस.के.सिंह ने इस उपलब्धि के लिए परीक्षा नियंत्रक प्रो. विवेक पाण्डेय एवं परीक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा एजेन्सी की सराहना की एवं उन्हें बधाई दी है। साथ ही बताया कि बी.टेक. अन्तिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अल्प समय एवं मई माह में ही जारी होने से छात्रों को उच्च अध्ययन एवं जॉब्स प्राप्ति के अधिक अवसर उपलब्ध होगें। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विवेक पाण्डेय ने बताया कि बी.टेक. अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 मई 2025 को समाप्त हुई उसके पश्चात सभी परीक्षा केन्द्रों से उत्तर-पुस्तिकाओं का संकलन, उनका सत्यापन करना, कोडिंग कर उन्हें मूल्यांकन हेतु तैयार करना, मूल्यांकन करवाना, सत्रांक, आन्तरिक मूल्यांकन, प्रेक्टिकल एवं प्रोजेक्ट के ऑनलाईन मार्क्स लेना, रिजल्ट प्रोसेसिंग, रिजल्ट टेस्टिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन कमेटी द्वारा रिजल्ट की जांच करना इत्यादि प्रक्रियाएं एवं गतिविधियों को बहुत अल्प समय में सम्पादित करते हुए केवल पाँच दिवस में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है।

गौरतलब है कि आठवें सेमेस्टर परीक्षा का प्रोजेक्ट जमा कराने एवं अंक भरने की अंतिम तिथि 16 मई 2025 नियत थी। कुलपति प्रो.एस. के.सिंह ने बताया कि परीक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा एजेन्सी के अथक प्रयासों से यह कीर्तिमान स्थापित किया जा सका। उन्होने बताया कि बी.टेक. अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा 2025 में मुख्य परीक्षा का परिणाम 96.13 प्रतिशत रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 52 महाविद्यालयों के 6510 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 का परीक्षा परिणाम केवल सात दिवस में घोषित किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था जिसे वर्ष 2025 में केवल पाँच दिवस में घोषित कर विश्वविद्यालय ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है।

जिला कलेक्टर ने बैठक ली

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जेवीवीएनएल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएचईडी, नगर निगम और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर ने भीषण गर्मी और आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों को समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान डॉ. गोस्वामी ने खाद्य सुरक्षा के तहत नाम जुड़वाने से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि (वर्ष 2022 से 2025 तक) प्राप्त आवेदनों की त्वरित जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिन आवेदनों को दस्तावेजों की कमी के कारण वापस लौटाया गया है, उनका नियमित फॉलोअप किया जाए। इसके लिए पटवारियों एवं अन्य फील्ड स्टाफ को सीधे आवेदकों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी, जिससे पात्र लाभार्थी योजना का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकें।

गर्मी के मौसम को देखते हुए पीएचईडी अभियंताओं को निर्देश दिए गए कि सभी स्थानों पर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक जल स्रोत के पानी के सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से हो। जहां टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है, वहां टैंकर पूरी तरह भरे हों, उन पर "निशुल्क जल सेवा" अंकित हो तथा उनकी जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से निगरानी की जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि लू व तापघात से बचाव के लिए आमजन को व्यापक प्रचार-प्रसार माध्यमों से जागरूक किया जाए। प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में ओआरएस, आईवी फ्लूइड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों के सभी वार्डों में मरीजों के लिए छाया और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। साथ ही आगामी मानसून को देखते हुए मौसमी बीमारियों, विशेषकर डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वे कार्य कराया जाए तथा जिन क्षेत्रों में डेंगू के केस अधिक मिल रहे हैं, वहां सघन रोकथाम गतिविधियां चलाई जाएं। ओडीके ऐप पर आने वाली शिकायतों का शीघ्र समाधान भी किया जाऐं।

जिला कलेक्टर ने जेवीवीएनएल अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी और बारिश के मौसम में अघोषित बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए।

समर कैंप का समापन

कोटा, (निसं)। एलबीएस स्कूल में आयोजित 09 दिवसीय समर कैंप का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस कैंप का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना और गर्मी की छुट्टियों को रचनात्मक तरीके से उपयोग में लाना था। समर कैंप के दौरान विद्यार्थियों ने आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, योगा, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर, और खेलकूद जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा निखरी और उनमें आत्मविश्वास का विकास हुआ। एलबीएस के चेयरमैन कुलदीप माथुर ने बताया कि इस प्रकार के कैंप बच्चों को किताबों से अलग जीवन कौशल सिखाते हैं। इस समापन समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दीं, जिसमें नृत्य और गायन आदि शामिल थे। समर कैंप की सफलता में शिक्षकों और अभिभावकों का भी भरपूर सहयोग रहा। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह समर कैंप बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ, जिससे उन्होंने खेल-खेल में बहुत कुछ सीखा। अंत में समर कैम्प में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एलबीएस डायरेक्टर डॉ.शिल्पा माथुर, सुदर्शन माथुर एवं सुरेन्द्र नागर, नीतू कुमावत, दिव्या गोचर, नेहा माथुर सहित अन्य समस्त विद्यालय स्टॉफ उपस्थित रहा।

करोड़ों की भूमि से अतिक्रमण हटाया

कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा करोड़ों की भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त ऋषभ मंडल के निर्देशानुसार मई माह का अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके क्रम में मंगलवार को ग्राम रामनगर की 1.59 हैक्टयेर भूमि व नांदना उर्फ बडगांव की 1.08 हैक्टयेर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।

इस प्रकार कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के अतिक्रमण निरोधक दस्तें द्वारा 2.67 हैक्टयेर भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 25 करोड रूपये को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक मुरलीधर पारेता, भवानीशंकर कारपेंटर, हरीश गुप्ता व पटवारी रामनिवास उपस्थित रहे। तकनीकी शाखा से अधिशाषी अभियंता अंकित अग्रवाल व सहायक अभियंता राहुल जैन उपस्थित रहे।

आयुक्त ने बताया कि निकट भविष्य में अतिक्रमण मुक्त भूमि पर तारफैंसिंग कर, योजना प्रस्तावित की जावेगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रजनी पेशवानी पत्नी श्री कन्हैयालाल पेशवानी, निवासी मकान नं. 2-जी-10, महावीर नगर तृतीय, कोटा द्वारा मकान नं. 2-जी-9 महावीर नगर तृतीय, कोटा राज. को खरीदने बाबत करार श्रीमती भगवती खण्डेलवाल पत्नी श्री अनिल शर्मा, निवासी सी-47, न्यू मास्टर कॉलोनी, झालावाड़ राज. से किया हुआ है। श्रीमती रजनी पेशवानी द्वारा मेरे पक्षकार बैंक के समक्ष आवेदन किया है और श्रीमती भगवती खण्डेलवाल ने जाहिर किया है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा द्वारा श्रीमती चन्द्रा कुमारी सोनी के पक्ष में जारी निरस्तीकरण पत्र दिनांक 28.11.97 एवं नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 28.02.98 कही खो गये है, उक्त असल दस्तावेज ढूंढने पर भी नही मिल रहे है, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी करा दी गई है। हर आम व खास व वित्तीय संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मकान को श्रीमती भगवती खण्डेलवाल के द्वारा विक्रय किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

कोटा, दिनांक-20.05.25

राजेन्द्र मंगल, एडवोकेट

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर

क्रमांक:-ननिको (उ.)/भ.नि.अनु./जोन-द्वितीय/2025/2494-95 दिनांक:-20.5.25

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रमेशचन्द सुमन पुत्र श्री बाबूलाल सुमन निवासी-1038, माताजी मंदिर के सामने, कुन्हाडी कोटा राजस्थान द्वारा आवास/भूखण्ड का क्षेत्रफल 600 वर्गफीट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।

आवास/भूखण्ड गणेशजी की गली, कुन्हाडी कोटा स्थित भूखण्ड का आवंटन नगर निगम कोटा द्वारा पट्टा क्रमांक 1975 दिनांक 22.06.2000 जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफीट श्री बाबूलाल पुत्र श्री भैरूलाल के पक्ष में जारी किया गया था। श्री बाबूलाल पुत्र श्री भैरूलाल की मृत्यु दिनांक 27.04.2009 को चुकी है। श्री बाबूलाल पुत्र श्री भैरूलाल के विधिक वारिसान द्वारा जर्ये रजिस्ट्रर्ड हक-त्याग पत्र दिनांक 22.05.2017 को आवेदक श्री रमेशचन्द सुमन पुत्र श्री बाबूलाल सुमन के पक्ष में निष्पादित किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास/भूखण्ड गणेशजी की गली, कुन्हाडी कोटा द्वारा कुल क्षैत्रफल 600 वर्गफीट का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवास/भूखण्ड देवली अरब कोटा का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ती हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित रूप से अद्यो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यलय में प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ती मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा-उत्तर

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/1911 दिनांक:- 20.5.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री हरि शंकर शर्मा निवासी भूखण्ड संख्या 456 महावीर नगर द्वितीय, कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 456 महावीर नगर द्वितीय कोटा क्षेत्रफल 962 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 456 महावीर नगर द्वितीय कोटा क्षेत्रफल 962 वर्गफुट की रजिस्ट्री कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 561 दिनांक 28.03.1991 से श्री हरि शंकर शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा के नाम करवाई गई। श्री हरि शंकर शर्मा ने जर्ये नोटेरी वसीयत नामा तहरीर तारीख 08.11.2021 से उक्त भूखण्ड की वसीयत श्रीमती सुशीला देवी पुत्री रतन लाल शर्मा पत्नी श्री हरि शंकर शर्मा के नाम कर दी। श्री हरि शंकर शर्मा का देहावसान दिनांक 16.01.2022 को हो जाने के उपरान्त आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा सूचना
सं. ईएल/50/एनआईटी/43 (2025-26), दि. 15.05.2025

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से **वरि. मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य), पश्चिम मध्य रेल, कोटा,** निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्याः** ईएल/50/256/2025-26. **कार्य का नामः (वरिष्ठ डीईएन/दक्षिण अनुभाग 04 संख्या), (वरिष्ठ डीईएन/पूर्व अनुभाग 04 संख्या), (वरिष्ठ डीईएन/सेंट्रल सेक्शन 06 संख्या) और (वरिष्ठ डीईएन/उत्तर सेक्शन 05 संख्या) में एस एंड टी डिपो में प्रस्तावित स्टोर रुम में सुरक्षा से संबंधित सिग्नलिंग गियर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आधुनिकीकरण और रखरखाव के संबंध में विद्युत कार्य। अनुमानित लागतः** ₹ 74,55,284.60. **बयाना राशिः** ₹ 1,49,100/-. **कार्य समाप्ति अवधिः** 06 माह। **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समयः** 09.06.2025 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे। ऑफर केवल ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वेबसाईट **http://www.ireps.gov.in** पर स्वीकार किए जायेंगे। निविदादाता के पास क्लास III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुएली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कण्डीशन्स एवं शर्तें अवश्य पढ लें।

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 462 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 20.5.25

आवास संख्या 6-बी-18 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम प्रताप को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती मीना सांखला पत्नी श्री बीरबल सांखला के नाम दिनांक 27.09.2018 को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती मीना सांखला पत्नी श्री बीरबल सांखला की मृत्यु दिनांक 08.03.2024 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती ममता सैनी पुत्री श्री बीरबल सांखला पत्नी श्री बलवीर सैनी एवं श्रीमती सुमन सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला पत्नी श्री रुपेश कुमार टाक द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का परित्याग जरिये घोषणा पत्र आलेखित कर दिनांक 18.04.2025 को श्री बीरबल सांखला पुत्र श्री आशाराम सांखला, श्री नितिन सांखला पुत्र श्री बीरबल सांखला, हेमलता सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला एवं चंचल सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला के पक्ष में संयुक्त रुप से किया गया। श्री बीरबल सांखला पुत्र श्री आशाराम सांखला, श्री नितिन सांखला पुत्र श्री बीरबल सांखला, हेमलता सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला एवं चंचल सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 6-बी-18 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर संयुक्त रुप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र के आधार पर श्री बीरबल सांखला पुत्र श्री आशाराम सांखला, श्री नितिन सांखला पुत्र श्री बीरबल सांखला, हेमलता सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला एवं चंचल सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री बीरबल सांखला पुत्र श्री आशाराम सांखला, श्री नितिन सांखला पुत्र श्री बीरबल सांखला, हेमलता सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला एवं चंचल सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला के नाम संयुक्त रुप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री बीरबल सांखला पुत्र श्री आशाराम सांखला, श्री नितिन सांखला पुत्र श्री बीरबल सांखला, हेमलता सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला एवं चंचल सांखला पुत्री श्री बीरबल सांखला के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, (कोटा उत्तर) (राज.)

क्रमांक :- ननिको(उ)/निर्माण/2025/3333-3346 दिनांक : 15.05.2025

-: ई-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा विभिन्न राजकीय अभियांत्रिकी विभागों के पंजीकृत "A", "AA" श्रेणी एंव नगर निगम कोटा उत्तर में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता हैं कि नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा कुल 03 कार्य हेतु ई-निविदा सूचना संख्या-05/2025-26 से सम्बन्धित कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत,निविदा बैचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण सम्पूर्ण विवरण नगर निगम कोटा उत्तर की वेबसाइट **www.kotamc.org, http/eproc.rajasthan.gov.in** एवं **sppp.raj.nic.in** पर देखी जा सकती है।

NIB No. DLB2526A1388
UBN No. DLB2526WSRC04975, DLB2526WSRC04979, DLB2526WSRC04983

अधिशाषी अभियंता
राज.संवाद/सी/25/2654 नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय पंचायत समिति छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:/पं.स.छ./लेखा/2025-26/55-61 दिनांक:-19.05.2025

ई-निविदा सूचना (वित्तीय वर्ष 2025-26)/3

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायत समिति छबड़ा की 27 ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण फार्म/शर्ते ऑनलाईन http://sppp.rajasthan.gov.in/www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी/प्राप्त की जा सकती है।

NIB No. ZBR2526A0066
UBN No. ZBR2526SLRC00342-345

विकास अधिकारी पंचायत समिति छबड़ा

राजस्थान आवासन मण्डल

अन्तिम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं मे आवंटियों को मण्डल द्वारा किराया क्रय/नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत आवास आवंटित किए गऐ थे इन आवंटियों ने अपने आवास का विक्रय/हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों को कर दिया है आवास क्रय करने वाले व्यक्तियों ने आवास का अपने पक्ष में नियमितिकरण करने हेतु वांछित प्रपत्रों सहित आवेदन किया है।

अतः निम्न सूची में सम्मिलित आवास का मूल आवंटी के नाम से निरस्तीकरण करते हुए इनका नियमितिकरण क्रेता के पक्ष में किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, इन प्रस्तावित निरस्तीकरण/नियमितिकरण के विरूद्ध कोई हितकारी अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहे तो सूचना प्रकाशन से 15 दिन मे उप आवासन आयुक्त वृत कोटा के कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकता है। आपत्ति प्राप्त नही होने पर यह मानते हुऐ कि इन आवासों के मूल आवंटियों /हितकायो को नियमितिकरण बाबत् कोई आपत्ति नही है आवास का आवंटन बिना किसी अन्य सूचना के मूल आवंटियों के नाम से निरस्त कर एंव नियमितिकरण क्रेता के पक्ष में किए जाने की कार्यवाही प्रारंम्भ कर दी जावेगी।

नियमितिकरण हेतु प्राप्त आवेदन

क्र. सं.	मूल आवंटी का नाम	क्रेता का नाम	मकान न0	कॉलोनी एवं शहर
1	कविता उपाध्याय	अमित कुमार जैन	Shop No. S 9	महावीर नगर विस्तार योजना
2	पुरूषोत्तम	अमिता चौहान	1/116	गणेश तालाब
3	कंचन देवी	राजाराम मीणा	5 B 8	महावीर नगर विस्तार योजना
4	महावीर प्रसाद सुमन	नवीन नागर	Plot No. 4 C 14	स्वामी विवेकानन्द नगर
5	पार्वती बाई	राकेश जैन	2/540	स्वामी विवेकानन्द नगर
6	ताराचन्द	नर्बदा बाई	1 F 13	विकास नगर बून्दी
7	दुर्गालाल रेगर	पूरण चन्द वर्मा	4 A 11	जवाहर नगर बून्दी
8	ओम प्रकाश शर्मा	मन्जु सोनी	2 C 5	जवाहर नगर बून्दी
9	नसीम बानो	निशात बी	1 C 5	सुनेल
10	नसीम बानो	निशात बी	1 C 6	सुनेल
11	कान्तिचन्द नागर	गजेन्द्र कुमार मेरोठा	2/162	अटरू
12	चेतन कुमार	चौथमल	1/38	अटरू
13	चेतन कुमार	चौथमल	1/39	अटरू
14	सुशील कुमार शुक्ला	मधु कुमारी	1/32	अटरू
15	कान्ती बाई	मधु कुमारी	1/31	अटरू
16	मदनलाल शर्मा	मोहन लाल यादव	2/18	गजनपुरा बांरा
17	रामगोपाल	सुरेश कुमार नागर	2/157	अटरू
18	श्रीनाथ अग्रवाल	मोहम्मद नब्बास	2/83	अन्ता
19	श्याम बिहारी शर्मा	सिद्धार्थ कोठारी	2/38	गजनपुरा बांरा
20	बिन्दु शर्मा	जितेन्द्र वैष्णव	1/134	घरौन्दा बांरा
21	कृष्ण मुरारी	सईदा बेगम	6 B 38	विज्ञान नगर विस्तार योजना
22	श्याम लाल	दिनेश कुमार खण्डेलवाल	C 20	अन्ता
23	श्याम लाल	मनिष मालव	C 21	अन्ता
24	बरदीलाल	मनिष मालव	C 22	अन्ता
25	राकेश जैन	कृष्णा देवी	4/271	स्वामी विवेकानन्द नगर

राज.संवाद/सी/25/2588 उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा

पश्चिम मध्य रेल

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा ■ दिनांक 15.05.2025

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से **मुख्य कारखाना प्रबन्धक, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा,** निम्नलिखित कार्य की ई-निविदा आमंत्रित करते हैः- **टेण्डर सं.:** M-324-WagonBody-Ten-01. **कार्य का विवरणः माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा, प.म.रे. में माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील (बॉक्सएन और बीसीएन ग्रुप) वैगनों में बॉडी मरम्मत के कार्य की आउटसोर्सिंग, जिसमें 12 महीने की अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा वेल्डिंग मशीनों की व्यवस्था भी शामिल है। अनुमानित लागतः** ₹ 6,66,79,200/-. **निविदा प्रपत्र राशिः** निल। **बयाना राशिः** ₹ 4,83,400/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 12 माह। **निविदा बंद/खोलने की तारीख और समयः** बंद होगा 11.30 बजे दिनांक 06.06.2025 एवं खोला जाएगा 12.00 बजे दिनांक 06.06.2025. ई-निविदा वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर अपलोड कर दी गई है तथा मुख्य कारखाना प्रबन्धक कार्यालय, कोटा के प्रगति अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। ऑफर सिर्फ ई-निविदा के माध्यम से इसी वेबसाइट पर स्वीकार किये जायेंगे। इस निविदा के लिये मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि ऐसा कोई ऑफर प्राप्त होता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

उप मुख्य यांत्रिक इंजी.-II, मा.डि.म.कारखाना, कोटा जं.

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

कोटा मण्डल
निविदा आमंत्रण सूचना
नि.आ.सू.सं.: टीकेडी-13-2025, दि. 17.05.2025

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/टीआरएस/विद्युत लोको शेड, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-44, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिनकी बंद होने की तिथि समय क्रमशः 11.06.2025 है। निविदाकार बंद होने की तिथि व समय तक अपनी मूल/संशोधित अपनी निविदा आफर जमा कर सकते है। मैन्युअल निविदा आफर स्वीकार्य नहीं है। विवरण इस प्रकार हैः- **निविदा सं.:** टीकेडी-13-2025. **कार्य का नाम व स्थानः विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद के लोकोमोटिव में 36 माह (03 वर्ष) हेतु वेल्डिंग का कार्य। मात्राः** शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार। **अनुमानित लागतः** ₹ 63,59,482.50. **निविदा प्रपत्र का मूल्यः** शून्य। **बयाना राशिः** ₹ 1,27,200/-. **समापन अवधिः** 36 माह। **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/समयः** 11.06.2025, 15.30 बजे। **नोटः 1.** ई-निविदा प्रपत्र एवं ई निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पोर्टल पर उपलब्ध है। **2.** इस ई टेंडर के लिए कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है तथा ऐसा कोई मैन्युअल ऑफर प्राप्त होता है तो भी वह मान्य नहीं होगा। **3.** इस टेंडर से सम्बंधित कोई आवश्यक संशोधन यदि जरुरी हो तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। **4.** टेंडरर (निविदादाता) के पास क्लास-III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तथा IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

क्रमांक/भू.अ./2025/1852 दिनांक:-20.5.2025

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार रामकली बेवा हंसराज जाति जाटव निवासी छबड़ा द्वारा ग्राम हनुवतखेडा की आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 5 बीघा भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिलीपकुमार पुत्र हंसराज जाति जाटव निवासी छबड़ा के पक्ष में की गई है। उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) तहसील कार्यालय छबड़ा में जैरकार है। उक्त वसीयत को लेकर किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 10 दिन तहसील कार्यालय छबड़ा में अपनी आपत्ति पेश करे। अन्यथा प्रकरण एक तरफा निस्तारण कर दिया जायेगा। और कोई आपत्तियां इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नही होगी।

तहसीलदार (भू.अ.) छबडा जिला बारां (राज.)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/39 दिनांक:-20.5.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास संख्या 295 श्रीनाथपुरम-ए आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 133 दिनांक 20.09.1995 को श्री मधु सुदन शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा के नाम आवंटन किया गया था। श्री मधु सुदन शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा उक्त आवास का जर्ये मुख्ताआम श्री राजेन्द्र बाठला पुत्र श्री वजीर चन्द बाठला द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2025 को श्री सुखराज सिंह सन्धु पुत्र श्री हरपाल सिंह को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री सुखराज सिंह सन्धु पुत्र श्री हरपाल सिंह द्वारा उक्त आवास का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 295 श्रीनाथपुरम-ए आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री सुखराज सिंह सन्धु पुत्र श्री हरपाल सिंह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/40 दिनांक:-20.5.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा भूखंड संख्या 706 सुभाष नगर आवासीय योजना में हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 4613-14 दिनांक 10.09.2012 को श्री विक्की कोटवानी पुत्र श्री मोहन लाल के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री विक्की कोटवानी पुत्र श्री मोहन लाल द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्ताआम श्रीमती अनोखी बाई पत्नी श्री कन्हैयालाल मीणा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2025 को श्रीमती सीमा नागर पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण नागर को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती सीमा नागर पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण नागर द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 706 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती सीमा नागर पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/212 **विज्ञप्ति** दिनांक:-12.5.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयाखेडा में स्थित कृषि भूमि योजना ज्ञान सरोवर कालोनी खसरा नं. 120 में स्थित भूखंड संख्या एफ-ए-10 आवेदक/आवेदिका श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार पंकज निवासी डॉ. शुक्ला के पीछे इन्द्रा गांधी नगर डीसीएम कोटा नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा आदेश क्रमांक 701 दिनांक 29.07.2013 को श्री रियाज खान पुत्र श्री फरीदुल्ला खान के नाम जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2014 को सलीम खान पुत्र श्री अब्दुल हकीम के पक्ष में किया गया है। क्रेता सलीम खान द्वारा बिना नाम हस्तान्तरण कराये उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2023 को जर्ये मुख्तारआम श्री रणजीत सुमन पुत्र स्व. श्री हीरालाल सुमन द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार पंकज के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/37 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 19.5.25

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवासीय आवास संख्या 115 को आवंटन/न्यास पत्र क्रमांक 76 दिनांक 13.05.1998 को श्री बाबूलाल पारेता पुत्र श्री घांसीलाल को आवंटन किया गया था। उक्त आवास की रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्री भीमराज नागर पुत्र श्री राम किशन नागर द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस रजिस्ट्री में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 115 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवासीय की रजिस्ट्री श्री बाबूलाल पारेता पुत्र श्री घांसीलाल जर्ये मुख्तारआम श्री भीमराज नागर पुत्र श्री राम किशन नागर के नाम जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा